पंचदश

बिहार विधान-सभा

सप्तदश सत्र

अल्पसूचित प्रश्न

वर्ग-5

शुक्रवार, तिथि 16 श्रावण, 1937 (श०) / 7 अगस्त, 2015 (ई०)

प्रश्नों की कुल संख्या 3

(1) ऊर्जा विभाग	- -	01
(2) स्वास्थ्य विभाग	- -	01
(3) योजना एवं विकास विभाग	- -	01
	कुल योग---	03

कार्रवाई करना

2. श्री अब्दुलबारी सिद्दिकी--दिनांक 5 जुलाई, 2015 को पटना से प्रकाशित समाचार-पत्र में छपी खबर ''बी०ए०डी०पी० की योजना में बड़े स्तर पर मिली गड़बड़ी'' शीर्षक को ध्यान में रखते हुये क्या मंत्री, योजना एवं विकास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि सूबे के 7 सीमावर्ती जिलों में केन्द्र सरकार की राशि से सड़क निर्माण, भवन निर्माण एवं सामुदायिक भवन निर्माण सहित कुल 90 योजनाएँ चलाई जा रही है जिसमें बड़े पैमाने पर हुई गड़बड़ी की जाँच ए०एन० सिन्हा शोध संस्थान द्वारा करायी गयी है;

(2) क्या यह बात सही है कि ए०एन० सिन्हा शोध संस्थान के ऊपर वर्णित योजनाओं के कार्यान्वयन में बड़े पैमाने पर हुई गड़बड़ी को सही पाया है और अपना जाँच रिपोर्ट विभाग को कार्रवाई हेतु सौंपा है, यदि हाँ,

तो जाँच प्रतिवेदन पर कार्रवाई करते हुये सरकार द्वारा किन-किन दोषी व्यक्तियों को चिन्हित कर उनपर कौन-सी कार्रवाई की गई है, यदि नहीं, तो क्यों ?

जाँच कराना

3. श्री अब्दुलबारी सिद्दिकी--दिनांक 28 जून, 2015 को पटना से प्रकाशित समाचार-पत्र में छपी खबर ''एक अरब 69 लाख के गबन में पुलिस ने शुरू की जाँच'' को ध्यान में रखकर क्या मंत्री, ऊर्जा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है नार्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लि० और मुम्बई स्थित ऐस्सेल विद्युत् वितरण कम्पनी के बीच समझौते के अनुसार मुजफ्फरपुर में विद्युत् वितरण एवं राजस्व वसूली का कार्य संभाल रही ऐस्सेल कम्पनी द्वारा नवम्बर, 2013 से मई, 2015 के बीच वसूली गयी राशि एक अरब 69 लाख रुपये फर्जीवाड़ा करके नौर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी के एकाउन्ट में न जमा करके किसी अन्य एकाउन्ट में जमा की गयी है और इस फर्जीवाड़ा को छुपाने के लिये अभिलेख में छेड़-छाड़ की गयी है, यदि हाँ, तो ऐस्सेल कम्पनी के अधिकारियों के अलावे एन०बी०पी०डी० कम्पनी के कौन-कौन पदाधिकारी इस गबन एवं फर्जीवाड़ा में संलिप्त हैं ?

चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराना

4. श्री अरूण शंकर प्रसाद--स्थानीय दैनिक समाचार-पत्र में दिनांक 8 जुलाई, 2015 को प्रकाशित शीर्षक ''स्वास्थ्य बीमा से 65 प्रतिशत लाभार्थी बाहर'' को ध्यान में रखते हुये क्या मंत्री, स्वास्थ्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत राज्य में एक करोड़ 35 लाख 32 हजार 814 परिवारों को पंजीकरण कर मुफ्त चिकित्सा सुविधा प्रदान करना है जबकि 65 फीसदी गरीब अभी इस योजना से वंचित हैं;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त योजना के अन्तर्गत बी०पी०एल० मरीजों के पंजीकरण की जिम्मेवारी यूनाईटेड इंडिया इंश्योरेंस कम्पनी को सर्वाधिक 20 जिलों का काम आवंटित किया गया है तथा शेष कार्य न्यू इंडिया इंश्योरेंस, नेशनल इंश्योरेंस और रिलायंस जी०आई०सी० को आवंटित किया गया है परन्तु अभीतक विभिन्न बीमा कम्पनीयों द्वारा मात्र 45 लाख 19 हजार 687 परिवारों का ही पंजीकरण किया गया है;

(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार शत्-प्रतिशत गरीबों का पंजीकरण कराकर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराना चाहती है, यदि हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

पटना:
दिनांक 7 अगस्त, 2015 (ई०) ।

हरेराम मुखिया,
प्रभारी सचिव,
बिहार विधान-सभा।

बि०स०मु० (एल०ए०), 87-डी०टी०पी०-450